

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1566
जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....
देश के पश्चिमी भाग में नदियों को जोड़ना

1566. श्री चव्हाण र वन्द्र वसंतराव:
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:
श्री सूधीर गुप्ता:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:

- (क) क्या सरकार का विचार देश के पश्चिमी भाग में 11 प्रमुख और छोटी नदियों को जोड़ने का है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त उद्देश्य के लिए चयनित नदियों के नाम क्या हैं;
- (ग) उक्त परियोजना पर कुल कतना व्यय होने की संभावना है तथा इस उद्देश्य के लिए कतनी धनराशि स्वीकृत/जारी की गई है;
- (घ) क्या सरकार द्वारा परियोजना के लिए वस्तुतः परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ) क्या सरकार ने उक्त परियोजना के संबंध में संबंधित राज्य सरकारों के साथ किसी समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (च) यह परियोजना पश्चिमी भारत के जल संकटग्रस्त राज्यों में जल समस्या के समाधान में कस सीमा तक सहायक होगी?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) से (च): वर्ष 1980 में, भारत सरकार ने अधिशेष बेसनों से जल की कमी वाले बेसनों/क्षेत्रों में जल स्थानांतरित करने के लिए नदियों को आपस में जोड़ने (आईएलआर) हेतु एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) तैयार की। एनपीपी के तहत दो घटकों के साथ 30 लंक परियोजनाओं की पहचान की गई है, अर्थात्; हिमालयी घटक (14 लंक परियोजनाएं) और प्रायद्वीपीय घटक (16 लंक परियोजनाएं)।

देश के पश्चिमी भाग में एनपीपी के अंतर्गत 5 आईएलआर परियोजनाएँ हैं, अर्थात्; यमुना-राजस्थान लंक, राजस्थान-साबरमती लंक, संशोधित पार्वती-काली संधि-चंबल (संशोधित पीकेसी) लंक, दमनगंगा-पंजल लंक और पार-तापी-नर्मदा लंक। इन परियोजनाओं के विवरण के साथ, इन परियोजनाओं की वस्तुतः परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)/व्यवहार्यता रिपोर्ट (एफआर)/पूर्व-

व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) की तैयारी की स्थिति, लाभान्वित राज्य, परियोजनाओं से संचाई, औद्योगिक और घरेलू जल आपूर्ति लाभ और उनमें आपस में जोड़ी जाने वाली नदियों का ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है।

उपरोक्त 5 आईएलआर परियोजनाएँ देश के पश्चिमी भाग में अभी तक कार्यान्वयन के चरण में नहीं पहुँची हैं, क्योंकि संबंधित आईएलआर परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आम सहमति बनाना संबंधित राज्यों पर निर्भर रहता है। परियोजनाओं के लिए धन की स्वीकृति जारी तब की जाएगी जब ये परियोजनाएँ कार्यान्वयन के चरण में पहुँच जाएँगी। परियोजनाओं की अनुमानित लागत अनुलग्नक-II में दी गई है।

अनुलग्नक-।

“देश के पश्चिमी भाग में नदियों को जोड़ना” के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1566, जिसका उत्तर दिनांक 13.02.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

देश के पश्चिमी भाग में 5 आईएलआर परियोजनाओं का ववरण और लाभ

क्र. सं.	लंक का नाम	लाभान्वित राज्य	वार्षिक संचाई [लाख हेक्टेयर]	घरेलू और औद्योगिक [मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम)]	जल वद्युत [मेगावाट (एम.डब्ल्यू)]	स्थिति डीपीआर/एफआर/पीएफआर	नदियां
1.	यमुना राजस्थान लंक	हरियाणा और राजस्थान	2.51 (0.11 + 2.40)	30	--	एफआर पूर्ण	यमुना
2.	राजस्थान साबरमती लंक	राजस्थान और गुजरात	11.53 (11.21 + 0.32)	102	--	एफआर पूर्ण	लूणी, सुकरी, सागी, बांडी और सुकाल बनास
3.	संशोधित पारबती-काली संध चंबल लंक परियोजना	राजस्थान और मध्य प्रदेश	राज्यों को मिलने वाले लाभों का ववरणता लका के नीचे दिया गया है			एफआर पूर्ण	पारबती, काली संध, चंबल, कुल, बनास, मेज, कूनो, चामला, शप्रा, लखुंदर और नेवज
4.	दमनगंगा-पंजल लंक	महाराष्ट्र	--	895	5	एफआर पूर्ण	दमनगंगा, पंजल
5.	पार-तापी-नर्मदा लंक	गुजरात	2.27	76	21	एफआर पूर्ण	पार, तापी और नर्मदा
		महाराष्ट्र	0.05	--	--		

उपर्युक्त आईएलआर परियोजनाओं का अन्य ववरण निम्नानुसार है:

1. यमुना-राजस्थान लंक परियोजना: यमुना-राजस्थान लंक परियोजना हरियाणा राज्य में प्रस्तावित यमुना बैराज से शुरू होने की परिकल्पना की गई है और यह राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले में समाप्त होगी। हरियाणा के भवानी जिले और राजस्थान के हनुमानगढ़, बीकानेर और जैसलमेर जिलों के रेगस्तानी इलाकों को इस लंक नहर से लाभ मिलता है। लंक नहर से 2.51 लाख हेक्टेयर वार्षिक संचाई (हरियाणा में 0.11 लाख हेक्टेयर और राजस्थान में 2.40 लाख हेक्टेयर और रास्ते में घरेलू जरूरतों के लिए 30 म लयन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) पानी) उपलब्ध होगी।
2. राजस्थान -साबरमती लंक परियोजना: राजस्थान - साबरमती लंक नहर यमुना-राजस्थान लंक नहर का वस्तार है और यह राजस्थान के जैसलमेर जिले से शुरू होकर गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में समाप्त होती है। यह लंक परियोजना कुल 11.53 लाख हेक्टेयर क्षेत्र (राजस्थान में 11.21 लाख हेक्टेयर और गुजरात में 0.32 लाख हेक्टेयर) के लिए वार्षिक संचाई और 102 एमसीएम (राजस्थान में 97 एमसीएम और गुजरात में 5 एमसीएम) की घरेलू जल आपूर्ति प्रदान करती है।
3. संशोधित पीकेसी लंक परियोजना: संशोधित पीकेसी लंक का मसौदा पीएफआर और संशोधित पीकेसी लंक की डीपीआर तैयार करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) का मसौदा जनवरी 2023 में दोनों राज्यों को भेजा गया था। भारत सरकार के लगातार प्रयासों से इन दोनों राज्यों द्वारा दिनांक 28.01.2024 को नई दिल्ली में दोनों राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में इसकी डीपीआर तैयार करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार (जीओआई) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके बाद दिनांक 05.12.2024 को राजस्थान और एमपी राज्यों और भारत सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए गए। इस परियोजना से मध्य प्रदेश को लाभ मिलेगा, जिससे लगभग 1815 म लयन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) जल का उपयोग करके लगभग 6 लाख हेक्टेयर (हेक्टेयर) के कमांड क्षेत्र में वार्षिक संचाई हो सकेगी और मालवा क्षेत्र सहित शवपुरी, ग्वालियर, भंड, मुरैना, श्योपुर, शाजापुर, आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, गुना, रतलाम, मंदसौर, उज्जैन, धार और देवास जिलों को लगभग 71 एमसीएम पानी की पेयजल आपूर्ति होगी। राजस्थान में, लंक परियोजना का उद्देश्य पूर्वी राजस्थान के 21 जिलों (झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, गंगापुर सटी, दौसा, करौली, धौलपुर, भरतपुर, डीग, अलवर, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली - बहौर, जयपुर शहरी, जयपुर ग्रामीण, दूदू, अजमेर, ब्यावर,

केकड़ी) और मार्ग में पड़ने वाले कस्बों, तालाबों और गांवों की लक्षित आबादी को (लगभग 1744 एमसीएम पानी) पेयजल उपलब्ध कराना है और साथ ही दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर (डीएमआईसी) और अन्य उद्योगों के लिए लगभग 205 एमसीएम पानी की औद्योगिक पानी की मांग को पूरा करना है। राजस्थान में लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर मौजूदा कमांड क्षेत्र को स्थिर करने के साथ-साथ नए कमांड क्षेत्र के 2.5 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र की संचाई के लिए लगभग 1360 एमसीएम पानी का भी प्रावधान है।

4. दमनगंगा-पंजल लंक में दमनगंगा नदी बेसिन में भीगड़ [(7.441 हजार मलियन क्यूबिक फीट (टीएमसी)] बांध से पानी को वैतरणा नदी बेसिन में मोड़ने की परिकल्पना की गई है, जिससे वैतरणा नदी बेसिन में पंजल बांध से अतिरिक्त 1586 एमएलडी (20.44 टीएमसी) पानी उपलब्ध होगा। इस प्रकार, मुंबई शहर को जलापूर्ति के लिए कुल 31.60 टीएमसी पानी उपलब्ध होगा।
5. पार-तापी-नर्मदा लंक परियोजना में पार, औरंगा, अंबिका और पूर्णा नदी घाटियों के 46.96 टीएमसी अधिशेष जल का उपयोग मार्ग में संचाई के लिए तथा परियोजना के आसपास के क्षेत्रों में पेयजल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा। यह परियोजना नर्मदा नहर प्रणाली की मौजूदा मयागाम शाखा नहर के कमांड क्षेत्र के एक हिस्से को भी अपने अधीन ले लेगी, ताकि सरदार सरोवर परियोजना में बचाए गए पानी को गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों के जल की कमी वाले क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने के लिए उत्तर की ओर ले जाया जा सके।

अनुलग्नक-11

“देश के पश्चिमी भाग में नदियों को जोड़ना” के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1566 जिसका उत्तर दिनांक 13.02.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) से (च) में संदर्भित अनुलग्नक

देश के पश्चिमी भाग में आईएलआर परियोजना की अनुमानित लागत

क्र.सं.	लंक का नाम	परियोजना लागत (करोड़ रुपए में)
1.	यमुना-राजस्थान लंक	वर्ष 2020-21 के मूल्य स्तर (पी.एल.) पर 33,744.64 रुपए
2.	राजस्थान-साबरमती लंक	वर्ष 2019-20 के पी.एल. पर 25,299.39 रुपए
3.	संशोधित पारबती- काली संध -- चंबल लंक परियोजना	
4.	दमनगंगा- पंजल लंक	वर्ष 2015-16 के पी.एल. पर 3,008 रुपए
5.	पार-तापी-नर्मदा लंक	वर्ष 2014-15 के पी.एल. पर 10,211 रुपए
